राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

क्रमाक:पं0 34(4)चिस्वा/2/2019/पार्ट जयपुर,दिनांक: 4-12-2019

निदेशक(जनस्वा.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0जयपुर।

विषयः–डॉ. दयाराम स्वामी, प्रमुख विशेषज्ञ(मनोरोग), मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर को विभागीय जांच बकाया नहीं का प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है डॉ. दयाराम स्वामी, प्रमुख विशेषज्ञ(मनोरोग), मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर जो कि दिनांक 31.12.2019 को सेवानिवृत हो रहे हैं, के विरूद्ध :–

1–राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2–राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3–कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

डॉ. दयाराम स्वामी, प्रमुख विशेषज्ञ(मनोरोग), मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर के विरूद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित नहीं है, भी सुनिश्चित करें।

भवदीय

Sd/-

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
3. डॉ. दयाराम स्वामी, प्रमुख विशेषज्ञ(मनोरोग), मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर ।
4. कम्प्यूटर/रक्षित पत्रावली।

5/12/19

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

क्रमाक:प0 12(1)चिस्वा/2/19/आर–179(आईडी–3290) जयपुर, दिनांक: 4-12-19

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

विषय:–डॉ0 रविकान्त सोनी, चि0अ0 को कार्यग्रहण कराने की अनुमति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि डॉ0 रविकान्त सोनी, चि0अ0 का इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.09.19 के द्वारा स्थानान्तरण/पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बीदासर, जिला चुरू में किया गया है।

डॉ0 रविकान्त सोनी, चि0अ0 जो स्वैच्छा से अनुपस्थित चल रहे है, को कार्यग्रहण करने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि अनुपस्थिति अवधि के सम्बन्ध में उनके विरूद्ध **सीसीए नियम–16** के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा नवपदस्थापित स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बीदासर, जिला चुरू पर कार्यग्रहण करने की तिथि से ही कर्त्तव्य पर माना जावेगा तथा इससे पूर्व की अवधि अनुपस्थिति अवधि मानी जावेंगा।

भवदीय,

-ह0-

(अनिल कुमार कौशिक)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1–विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
2–निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0 जयपुर।
3–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चुरू।
4–डॉ0 रविकान्त सोनी, चि0अ0 द्वारा निदेशक (जनस्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
5–रक्षित पत्रावली/कम्प्यूटर कक्ष।

5.12.19

(नवल बिहारी ढलवाल)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

क्रमाकः पं012(1)चिस्वा/2/19/आईडी–3429 जयपुर,दिनांकः 04 DEC 2019

आदेश

डॉ रामरतन, चिकित्सा अधिकारी (सर्जरी) हाल सह आचार्य, सर्जरी (**UTB**), मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर का चयन सह आचार्य के पद पर राजमेस सोसायटी के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज, सीकर में हो जाने पर इस शर्त पर कार्यमुक्त किया जाता है कि राजमेस सोसायटी में कार्यग्रहण करने के उपरान्त इस विभाग में लियन (पदाधिकार) सुरक्षित नहीं रखा जावेगा।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार कौशिक)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1–निदेशक(जन स्वा)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0 जयपुर।
2–निदेशक, राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर।
3–प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, सीकर/बाड़मेर।
4–डॉ रामरतन, चिकित्सा अधिकारी (सर्जरी) हाल सह आचार्य, सर्जरी (**UTB**), मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर
5–रक्षित पत्रावली/कम्प्यूटर कक्ष।

सहायक शासन सचिव